UPMZ010120352018

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Judge (F.T.C No. 1) (for trying cases crime against women), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Smt Jyotsna Siwach), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) –** UP03822

सत्र परीक्षण संख्या –1053/2018

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

संदीप उर्फ छोटा पुत्र ओमप्रकाश निवासी कमालपुर थाना, शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर।

मु0अ0सं0–112/2018,

अन्तर्गत धारा– 366, 368 भा0दं0सं0

थाना– शाहपुर, **जिला**–मुजफ्फरनगर।

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त संदीप उर्फ छोटा के विरुद्ध मु0अ0सं0 112/2018, अन्तर्गत धारा 366, 338 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किए जाने एवं अभियुक्त की पत्रावली अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 1 मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 26.09.2018 को सत्र न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किए जाने पर पत्रावली स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। अभियुक्त संदीप उफ छोटा के विरुद्ध धारा 366, 368 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत परीक्षण किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 05.03.2018 को वह व उसकी मम्मी घरवाले व घरवाली जंगल में काम करने के लिए चले गए थे और उसकी बहन पीडिता घर पर थी। जब वे सभी समय करीब 03 बजे जंगल के बाहर आए तो उसकी बहन घर पर नहीं थी। जानकारी पर पता चला कि समय लगभग 11 बजे से उसके घर ही मौहल्ला का चुन्डी उर्फ लक्की निवासी कमालपुर बहला फुसलाकर कहीं ले

Digitally signed by JYOTSNA SIWACH
Date: 2026.08.07 16:42:10 IST
Reason: judgement
Location: Adj/ftc-1 MZN

गया है। उसने व उसके परिजनों रिस्तेदाारियों में तथा अन्य सीानों पर काफी तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चल सका।

3. उक्त तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर मु.अ.सं. 112/2018, अन्तर्गत धारा 366 भा.दं.सं. पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना विवेचनाधिकारी द्वारा गवाहों के बयान लिये गये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–2 तैयार किया। विवेचक द्वारा विवेचना में नामित अभियुक्त संदीप उर्फ छोटा के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 366, 368 भा.दं.सं. प्रेषित किया गया जो पत्रावली पर प्रदर्श क–3 है, जिसके आधार पर अभियुक्त का विचारण कर दंड़ित करने की प्रार्थना की गई।

4. विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त संदीप उर्फ छोटा के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 366, 368 भा.दं.सं. दिनांक 23.11.2018 को विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की। फलतः अभियोजन को साक्ष्य का अवसर दिया गया।

5. अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित को परीक्षित कराया गया है।

कम सं0	**अभियोजन साक्षी**	**साक्षी का नाम**
1.	पी.डब्लू. 01	दीपक वादी मुकदमा
2.	पी.डब्लू. 02	सुरेन्द्र
3.	पी.डब्लू. 03	पप्पू
4.	पी.डब्लू 04	एस0आई0 निर्दोष कुमार

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल किये गये हैं:–

कम सं0	**प्रदर्श की सं0**	**प्रदर्श का विवरण**	**सबित करने वाला साक्षी**
1.	प्रदर्श क–1	तहरीर	पी0डब्लू01
2.	प्रदर्श क–2	नक्शा नजरी	पी0डब्लू04
3.	प्रदर्श क–3	आरोप पत्र	पी0डब्लू 04
4.	प्रदर्श क–4	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी

5.	प्रदर्श क–5	समान्य जीडी	अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिक सत्यता स्वीकार की गयी तदोपरांत अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

7. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 के अधीन लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि पीडिता का उसके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा। पीडिता को उसने न ही छुपाया और न ही सदोष परिरोध में रखा, तथा अपने आप को निर्दोष बताते हुए मुकदमा झूंठा एवं रंजिशन चलाना बताया गया एवं विवेचक द्वारा झूठा आरोप पत्र प्रेषित करना कहा है।

8. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया।

9. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने दिनांक 05.03.2018 को ग्राम वादी का घर ग्राम कमालपुर में वादी मुकदमा की बहन को विवाह के लिए विवशकर अथवा भ्रष्ट करने के आशय से उसका व्यपहरण किया तथा उसको छुपाकर सदोष परिरोध में रखा।

10. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क रखा गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की बहन को विवाह के लिए विवशकर अथवा भ्रष्ट करने के आशय से उसका व्यपहरण किया गया है तथा उसको छिपाकर सदोष परिरोध में भी रखा गया है। अभियोजन की ओर से जो साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, उनके द्वारा घटना का समर्थन किया गया है, जिसके फलस्वरूप पत्रावली पर अभियुक्त की दोषसिद्धि का पर्याप्त आधार है।

11. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया है कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त की अपराध कारित करने में कोई भूमिका नहीं है तथा उनको झूठा फंसाया गया है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है।

घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

12. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना किये जाने के पश्चात् यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा वादिया मुकदमा की लडकी को विवाह के लिए विवशकर अथवा भ्रष्ट करने के आशय से उसका व्यपहरण किए जाने एवं उसके साथ बलात्कार किए जाने के आरोप को सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

13. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों के बयान का सारांश निम्नवत है, जिसके आधार पर हमें अपना निष्कर्ष निकालना है–

14. अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में **पी.डब्लू. 01** के रूप में दीपक कुमार को परीक्षित कराया गया है, जो कि उपरोक्त मामले में वादिया मुकदमा है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि ''मैं हाजिर अदालत मुल्जिमान संदीप उर्फ छोटा को जानता हूं। यह मेरे गांव कमालपुर का रहने वाला है। पीडिता मेरी छोटी बहन है। दिनांक 05.03.2018 की घटना है। मैं, मेरी मम्मी और मेरे घरवाले सुबह के समय में खेतों में काम करने चले गए थे। मेरी बहन घर पर अकेली थी। जब हम शाम के तीन बजे खेत से काम करके वापस आए तो, मेरी बहन डिम्पल घर पर नहीं मिली। हमने उसे घर पर तलाश किया, वह नहीं मिली। मुझे मौहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि मौहल्ले का ही चुन्डी उर्फ लक्की तुम्हारी बहन को लेकर चला गया है। मेरी बहन को ले जाने में हाजिर अदालत संदीप उर्फ छोटा का भी पूरा सहयोग था। जब हम अपनी बहन के बारे में पूछने के लिए चुन्डी उर्फ लक्की के घर गए तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बहन को ढूंढकर ला देंगे, लेकिन उन्होंने मेरी बहन डिम्पल को ढूंढकर लाकर नहीं दिया। घटना के बारे में मैंने एक तहरीर थाना शाहपुर पर लाकर दी थी जो माननीय न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, शिनाख्त करता हूं। जिसे मैं पहचानता हूं। तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। ''

15. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जब इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी तो इस साक्षी ने कथन किया है कि ''मैं सातवीं तक पढा लिखा

हूं। मैं आराम से लिख पढ सकता हू। घडी में टाईम देखना जानता हूं। दिशाओं का ज्ञान है। मुझे नहीं पता कि मेरी जन्मतिथि क्या है। हम सात बहन भाई है। मैं सब भाई बहनों में सबसे बडा हूं। पीडिता मेरे से छोटी है। मुझसे छोटी दो बहने हैं तथा उसके बाद डिम्पल है। मेरी बहन गांव कमालपुर में ही प्राथमिक विद्यालय में ही पढी है। मैंने अपनी बहन को चुंडी उर्फ लक्की के साथ जाते हुए नहीं देखा। यह बात सही है कि दिनांक 05. 03.2018 के बाद आज दिनांक तक मैंने अपनी बहन को कहीं भी किसी भी सीिन पर नहीं देखा। तहरीर प्रदर्श क मैंने खुद ही लिखी थी, जो मेरे हस्तलेख में हैं यह तहरीर मैंने थाने पर दिनांक 08.03.2018 को समय करीब सुबह के दस बजे दी थी। जब मैं थाने पर घटना की तहरीर देने के लिए गया था तो उस समय मेरे साथ गांव के सुरेन्द्र, पप्पू, राकेश, संजय, व कुछ अन्य लोग भी गांव के थे, जिनके नाम मैं नहीं जानता। मेरे साथ थाने पर गए थे। मुझे मेरी बहन को चुंडी के साथ जाने की बात मेरे गांव के राकेश ने बताई थी। कुछ और लोगों ने बताया था, जिनके नाम मैं नहीं जानता। मैं इसकी कोई बजह नहीं बता सकता मैंने तहरीर में राकेश यह बात कि मेरी बहन को जाते हुए राकेश ने देखा था, राकेश का नाम तहरीर में क्यों नहीं लिखा, मैं इसकी बजह नहीं बता सकता। मैंने किसी गवाह का नाम तहरीर में नहीं लिखा। इस घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। दरोगा जी ने मेरा बयान घर पर दिनांक 08.03.2018 को लिया था। यह बात सही है कि मैंने दरोगा जी को नहीं बताया था कि किस व्यक्ति ने मेरी बहन को चुन्डी उर्फ लक्की के साथ जाते हुए देखा था। यह बात सही है कि मैंने यह बात कि मेरी बहन को ले जाने में हाजिर अदालत मुल्जिम संदीप उर्फ छोटा उर्फ छोटा का भी पूरा सहयोग था। मैंने यह बात दरोगा जी को बताई थी कि मेरी बहन को ले जाते हुए हाजिर अदालत मुल्जिम संदीप उर्फ छोटा का भी पूरा सहयोग था। गवाह ने धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान पढकर देखा लेकिन इस बात में उपरोक्त बात नहीं लिखी लेकिन क्यों नहीं लिखी इसकी बजह मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैंने हाजिर अदालत मुल्जिम संदीप को केवल दबाव बनाने के लिए झूठा फंसाया हो। ''

16. इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या 1 जो कि उपरोक्त मामले में वादी मुकदमा है और महत्वपूर्ण साक्षी है, की मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा में गंभीर विरोधाभास है।

17. अभियोजन की ओर से पी.डब्लू. 02 के रूप में सुरेन्द्र को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी द्वारा अपने बयान की मुख्य परीक्षा में यह कहा गया है कि '' मैं मुल्जिम संदीप उर्फ छोटा को जानता हूं तथा उसके भाई लक्की उर्फ चुन्डी को भी जानता हूं। दोनों मेरे गांव के हैं। मई 2018 को मैं मुजफ्फरनगर कचहरी में नहीं गया था। मेरा कोई मुकदमा कचहरी में नहीं चला था। मैंने मुजफ्फरनगर कचहरी में चुन्डी उर्फ लक्की तथा पीडिता जो हमारे गांव की थी, को नहीं देखा था ना पीडिता के बारे में कोई बात उसके घर बताई थी। मैंने मुल्जिम संदीप उर्फ छोटा को भी कचहरी में नहीं देखा था। इस स्तर पर अभियोजन की याचना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही किया गया।

18. अभियोजन द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। अगर दरोगा जी ने ऐसा बयान कैसे लिख लिया, इसकी वजह नहीं बता सकता । आगे यह कहा है कि............ यह बात सही है कि पीडिता आज तक गांव में नहीं है। चुंडी भी गांव में नहीं रहता। मुल्जिम संदीप गांव में रहता है। मेरा कोई मुकदमा कचहरी मुजफ्फरनगर में नहीं चला था ना ही मैं कचहरी आता जाता हूं। संदीप, चुंडी के साथ पीडिता को बहला फुसलाकर ले जाने में शामिल नहीं रहा है। उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। संदीप शादी शुदा है। संदीप के कहने से गवाही देने नहीं आया हूं। मुझे नहीं पता कि चुन्डी और पीडिता कहां रह रहे हैं। यह कहना गलत है कि पीडिता को भगाने में संदीप उर्फ छोटा का कोई हाथ हो। यह कहना भी गलत है कि मैंने वकील के चैम्बर पर संदीप, चुंडी व पीडिता को देखा हो।

19. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में पी.डब्लू. 02 सुरेन्द्र द्वारा भी अभियोजन कथानक का रंच मात्र भी समर्थन नहीं किया गया है।

20. अभियोजन की ओर से पी.डब्लू. 03 के रूप में पप्पू को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि'' "

चुन्डी उर्फ लक्की व संदीप उर्फ छोटा को जानता हूं। जो मेरे गांव के रहने वाले हैं। सन् 2018 को मार्च अप्रैल को मुजफ्फरनगर कचहरी में कई बार गया हूं लेकिन मुझे चुन्डी उर्फ लक्की, संदीप उर्फ छोटा, व धर्मपाल की लडकी पीडिता नहीं मिले थे ना मैंने पीडिता के परिवारवालों को बताया कि मैंने पीडिता.... को चुन्डी उर्फ लक्की व संदीप उर्फ छोटा के साथ देखा है। चुन्डी के साथ पीडिता को भगाने में संदीप उर्फ छोटा का कोई हाथ नहीं है।'' इस स्तर पर अभियोजन की याचना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

21. अभियोजन द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था। अगर दरोगा जी ने कोई बयान लिख लिया है तो इसकी वजह नहीं बता सकता। चुन्डी व पीडिता गांव नहीं आए। पता नहीं कहां रहते है। संदीप गांव में रहता है। मैंने चुंडी को संदीप के घर आते जाते नहीं देखा है। मेरा कोई मुकदमा मुजफ्फरनगर में अदालत में नहीं चला। यह कहना गलत है कि मुझे चुन्डी व पीडिता के गांव से जाने का कोई जानकारी हो। यह कहना गलत है कि पीडिता को चुंडी के साथ भगाने में संदीप का हाथ हो। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान के डर की बजह से सही बात न बता रहा हूं।

22. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि यह बात सही है कि केवल इस मुकदमें में मेरे पास अदालत के समन जाने के बाद मैं पहली बार कचहरी में गवाही देने के लिए आया हूं। इससे पहले कभी कचहरी मुजफ्फरनगर नहीं आया। जब से पीडिता गांव से गयी है तब से कभी भी मैंने संदीप उर्फ छोटा, चुंडी व पीडिता के साथ कभी नहीं देखा। ना ही मैंने पीडिता को जाने के संबंध में उसके भाई दीपक को कभी बताया।

23. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में पी.डब्लू. 03 द्वारा भी अभियोजन कथानक का रंच मात्र भी समर्थन नहीं किया गया है।

24. अभियोजन की ओर से पी.डब्लू. 04 के रूप में एस0आई0 सुरेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि'' दिनांक 05.03.2018 को मैं थाना शाहपुर पर बतौर एस आई नियुक्त था। मु0अ0सं0 112/ 18 धारा 366 भा0दं0सं0 बनाम चुन्डी उर्फ लक्की थाना शाहपुर की विवेचना मुझ एस आई के सुपुर्द

की गयी थी। दिनांक 08.03.2018 को मेरे द्वारा विवेचना में सीडी का पर्चा 1 किता किया गया, नकल चिप, बयान वादी, नकल रपट तथा वादी की निशानदेही पर घटना का निरीक्षण कर मौके पर निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया था। नक्शा नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, इस पर प्रदर्श क—2 डाला गया। दिनांक 11.03.2018 को केस डायरी का पर्चा नंबर 2 किया गया अभियुक्त चुन्डी उर्फ लक्की तथा तथा अपहर्ता को तलाश किया था नहीं मिले। दिनांक 12.03.2018 को केस डायरी का पर्चा 3 किता किया गया था तलाश अपहर्ता व अभियुक्त को तलाश किया नहीं मिले। दिनांक 16.3.2018 को पर्चा नंबर 4 किता किया गया था। दिनांक 29.3.2018 को पर्चा संख्या 5 किता किया गया था अपहृता अभियुक्त को तलाश किया नहीं मिले। दिनांक 05.04.2018 को पर्चा नंबर 6 किता किया गया था अभियुक्त के मसकन पर दबिश दी, दस्तयाब नहीं हुआ। दिनांक 17.04.2018 को केस डायरी का पर्चा नंबर 7 किता किया गया था माननीय न्यायालय जाकर अभियुक्त का वारंट प्राप्त किया था। दिनांक 25.04.2018 को केस डायरी का पर्चा संख्या 8 किता किया गया था। घटना के चश्मदीद साक्षी राकेश और संजय का बयान लेकर अंकित किया था। जिसमें राकेश में संजय द्वारा अभियुक्त चुंडी उर्फ लक्की को ई रिक्शा में अपहर्ता को बैठाकर ले जाते हुए देखना बताया था। गांव कमालपुर से शाहपुर की ओर अभियुक्त अपहृता को ले जा रहा था। दोनों ने स्वयं मुझे स्वयं उपस्थित होकर बयान दिए थे। दिनांक 04.05.2018 को केस डायरी का पर्चा संख्या 9 किता किया था अभियुक्त चुंडी को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, नहीं मिला दिनांक 08.05.2018 को पर्चा नंबर 10 किया गया जिसमें गवाह सुरेंद्र व पप्पू ने बताया कि अभियुक्त चुन्डी व अपहृता व चुंडी के भाई संदीप उर्फ छोटा को एक साथ कचहरी में देखा था जो वकील के बस्ते की तरफ जा रहे थे। विवेचना में धारा 368 की वृद्धि की थी। दिनांक 09. 05.2018 को अभियुक्त संदीप उर्फ छोटा को गिरफ्तार किया था उसका बयान अंकित किया जिसमें उसके द्वारा अदालत में सफाई देने को कहा गया। उक्त विवरण सीडी नंबर 11 में अंकित है। दिनांक 17.05.2018 को पर्चा 12 किताब किया था। अभियुक्त चुंडी उर्फ लकक्की गैर जमानीय वारंट प्राप्त किया था। दिनांक 30.05.2018 को पर्चा नंबर 13 किता किया था जिसमें अभियुक्त चुन्डी उर्फ लक्की की धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता की

रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी के दी। सीडी 14 दिनांक 05.06.2018 को अभी चुनरी और लक्की के विरुद्ध 82 सीआरपीसी प्राप्त कर चस्पा कर तामील की। दिनांक 07.07.2018 को पर्चा 15 किता किया गया था अभियुक्त चुन्डी उर्फ लक्की के मसकन पर दबिश दी गयी थी। पर्चा नं0 16 दिनांक 09.07.2018 को किता किया था, जिसमें अभियक्त संदीप उर्फ छोटा के विरूद्ध धारा 366, 368 भा0दं0सं0 का आरोप सिद्ध होने पर आरोप संख्या 223/ 18 दिनांक 09.07.2018 को न्यायालय प्रेषित किया गया। वह पत्रावली पर 3क/ 1 ता 3क/ 2 है। इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। आरोप पत्र पर मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 19.07.2018 को एससीडी 1 किता की गयी, जिसमें अभियुक्त चुन्डी उर्फ लक्की के मस्कन पर दबिश दी गयी। दस्तयाब नहीं हुआ। दिनांक 21.07.2018 को एससीडी 2 किता की गयी। इसमें अभियुक्त चुन्डी उर्फ लक्की की 82 दं0प्र0सं0 की तामील की गयी। धारा 82 दं0प्र0सं0 के उल्लंघन में धारा 174 ए भा0दं0सं0 की कार्यवाही की गयी। दिनांक 26.07.2018 को एससीडी 3 माननीय न्यायालय से 83 दं0प्र0सं0 का अनुरोध किया गया, नहीं मिली। दिनांक 07.08.2018 को एससीडी 4 में तलाश अभियुक्त किया नहीं मिला। धारा 83 दं0प्र0सं0 का अनुरोध किया, नहीं मिलीा। दिनांक 17.08.2018 को एससीडी 5 में अभियुक्त से संबंधित स्थान पर दबिश दी नहीं मिला। दिनांक 23.07.2018 को एससीडी 6 में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 83 दं0प्र0सं0 का अनुरोध किया, नहीं मिली। दिनांक 27.08.2018 को धारा 82 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गयी। दिनांक 30.08.2018 को एससीडी 8 किता की गयी। अभियुक्त चुन्डी उर्फ लक्की के विरूद्ध धारा 83 प्राप्त की। दिनांक 06.09.2018 को एससीडी 9 अभियुक्त चुन्डी उर्फ लक्की उर्फ रामलखन के विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही की गयी। दिनांक 08.09.2018 को एससीडी 10 किता की गयी। विवेचना में तमाम कार्यवाही से अभियुक्त चुन्डी उर्फ लक्की उर्फ रामलखन के विरूद्ध जुर्म धारा 366 भा0दं0सं0 का जुर्म साबित होने पर आरोप पत्र संख्या 233ए/ 2018 दिनांक 08.09.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। यह वही आरोप पत्र है जो मेरे द्वारा तैयार किया गया। इस पर प्रदर्श क 4 डाला गया। पेपर संख्या 112 26 ता 112 28 मेरे हस्ताक्षर है। थाने की मोहर लगी है।''

25. दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 354 यह प्रावधान करती है कि निर्णय की अन्तरवस्तु में अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट किए जाने चाहिये।

26. अतः अभियोजन एवं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आलोक में न्यायालय को निम्नलिखित विनिश्चय बिन्दुओं पर न्याय निर्णयन दिया जाना विधिसंगत एवं समीचीन होगा—

1. क्या अभियुक्त संदीप उर्फ छोटा द्वारा वादी मकदमा की बहन को विवाह के लिए विवशकर अथवा भ्रष्ट करने के आशय से उसको सदोष परिरोध में रखा गया है?

2. क्या अभियोजन अभियुक्त संदीप उर्फ छोटा के विरुद्ध आरोप युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है?

27. प्रथम अवधार्य बिन्दु इस सम्बन्ध में है कि क्या अभियुक्त संदीप उर्फ छोटा द्वारा वादी मकदमा की बहन को विवाह के लिए विवशकर अथवा भ्रष्ट करने के आशय से उसको सदोष परिरोध में रखा गया है ?

28. पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अभियोजन ने अपने कथानंक को सिद्ध करने के लिए पी0डब्लू01 दीपक कुमार जो कि उपरोक्त मामले में वादी मुकदमा है, ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानंक का समर्थन किया है परंतु अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि *मैंने अपनी बहन को चुंडी उर्फ लक्की के साथ जाते हुए नहीं देखा। यह बात सही है कि दिनांक 05.03.2018 के बाद आज दिनांक तक मैंने अपनी बहन को कहीं भी किसी भी स्थान पर नहीं देखा। तहरीर प्रदर्श क मैंने खुद ही लिखी थी, जो मेरे हस्तलेख में हैं यह तहरीर मैंने थाने पर दिनांक 08.03.2018 को समय करीब सुबह के दस बजे दी थी। जब मैं थाने पर घटना की तहरीर देने के लिए गया था तो उस समय मेरे साथ गांव के सुरेन्द्र, पप्पू, राकेश, संजय, व कुछ अन्य लोग भी गांव के थे, जिनके नाम मैं नहीं जानता। मेरे साथ थाने पर गए थे। मुझे मेरी बहन को चुंडी के साथ जाने की बात मेरे गांव के राकेश ने बताई थी।* इस प्रकार यह साक्षी जो कि उपरोक्त मामले में वादी मुकदमा है, तथा सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में काफी विरोधाभासी कथन किए है।

29. पी0डब्लू02 सुरेन्द्र द्वारा अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि ***मैं मुल्जिम संदीप उर्फ छोटा को जानता हूं तथा उसके भाई लक्की उर्फ चुन्डी को भी जानता हूं। दोनों मेरे गांव के हैं। मई 2018 को मैं मुजफ्फरनगर कचहरी में नहीं गया था। मेरा कोई मुकदमा कचहरी में नहीं चला था। मैंने मुजफ्फरनगर कचहरी में चुन्डी उर्फ लक्की तथा पीडिता जो हमारे गांव की थी, को नहीं देखा था ना पीडिता के बारे में कोई बात उसके घर बताई थी। मैंने मुल्जिम संदीप उर्फ छोटा को भी कचहरी में नहीं देखा था।*** अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराए गए साक्षी जो कि उपरोक्त मामले का स्वतंत्र साक्षी है, के द्वारा भी अभियोजन कथानंक के विपरीत बयान दिए गए है।

30. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू03 पप्पू ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कथन किया है ***कि सन् 2018 को मार्च अप्रैल को मुजफ्फरनगर कचहरी में कई बार गया हूं लेकिन मुझे चुन्डी उर्फ लक्की, संदीप उर्फ छोटा, व धर्मपाल की लडकी पीडिता नहीं मिले थे ना मैंने पीडिता के परिवारवालों को बताया कि मैंने पीडिता.... को चुन्डी उर्फ लक्की व संदीप उर्फ छोटा के साथ देखा है। चुन्डी के साथ पीडिता को भगाने में संदीप उर्फ छोटा का कोई हाथ नहीं है।*** अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराए गए इस साक्षी के द्वारा भी अभियोजन कथानंक पर बल नहीं दिया गया है तथा घटना का समर्थन नहीं किया गया है।

31. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू04 डा0 एस0आई0 निर्दोष कुमार जो कि पुलिस के साक्षी हैं तथा उक्त मामले के विवेचक है, ने अपने बयानों में मात्र पुलिस प्रपत्रों को ही साबित किया है।

32. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू01 वादी मुकदमा दीपक कुमार की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में गंभीर विरोधाभास है एवं पी0डब्लू02 सुरेन्द्र तथा पी0डब्लू03 पप्पू के द्वारा अभियोजन कथानक का कतई समर्थन नहीं किया गया है, जबकि प्रश्नगत घटना उक्त लोगों के सामने की होना अभियोजन द्वारा बताया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से पेश किए गए अन्य साक्षी पी0डब्लू04 एस0आई0 निर्दोष कुमार जिन्होंने मात्र कमशः पुलिस प्रपत्रों को ही साबित किया है।

33. उपरोक्त समस्त साक्षीगण वादी मुकदमा दीपक कुमार की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में गंभीर विरोधाभाास है तथा सुरेन्द्र एवं पप्पू पक्षद्रोही साक्षी हैं और यद्यपि न्यायालय का यह दायित्व है कि वह पक्षद्रोही साक्षियों के साक्ष्य से उन अंशों का चयन करें, जिनसे अभियोजन अथवा अभियुक्त पक्ष के अभिकथनों का समर्थन हो तथा जो अंश सत्यता के निकट हो तथा विश्वास प्रेरित करता हो, परन्तु इस संबंध में सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक् आंकलन करने के पश्चात भी उपरोक्त साक्ष्य में ऐसा कोई अंश प्रतीत नहीं होता है, जिससे सत्यता का बोध हो अथवा जो विश्वसनीय हो एवं जिसके आधार पर अभियुक्त के अपराध कारित करने में संलिप्तता के सन्दर्भ में निष्कर्ष आधारित करने में न्यायालय को सहायता मिले।

34. प्रस्तुत प्रकरण में समस्त साक्षीगण ने अभियुक्त संदीप उर्फ छोटा द्वारा वादी मुकदमा की बहन के साथ घटना कारित किये जाने से ही इन्कार किया है तथा विरोधाभासी कथन किये हैं एवं उक्तानुसार उक्त साक्षीगण विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा पक्षद्रोही साक्षियों के साक्ष्य का कोई भी अंश सारवान नहीं है। साक्षियों के पक्षद्रोही घोषित किये जाने के बाद विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा पक्षद्रोही साक्षियों से जिरह भी की गयी थी, परन्तु इसके पश्चात भी साक्षीगण की जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं आया है जो अभियोजन कथानक का समर्थन करता हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की संलिप्तता अपराध कारित किये जाने के संबंध में निष्क्रियता मात्र औपचारिक साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर आहरित किया जाना स्थापित विधि मंशा के प्रतिकूल होगा, तब जबकि तथ्य के साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न किया गया हो।

35. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस कोटि का नहीं है, जिसके आधार पर यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्त संदीप उर्फ छोटा द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी को विवाह के लिए विवशकर अथवा भ्रष्ट करने के आशय से उसको सदोष परिरोध में रखा गया हो।

36. द्वितीय अवधार्य बिन्दु इस सम्बन्ध में है कि क्या अभियोजन अभियुक्त संदीप उर्फ छोटा के विरुद्ध आरोप युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है?

37. जहां तक उपरोक्त अवधार्य बिन्दु का सम्बन्ध है, अवधार्य बिन्दु संख्या–1 के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा किये गये उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, वह इस कोटि का नहीं है कि सम्पूर्ण घटना जिस प्रकार अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना बताया गया है, उसकी पुष्टि होती हो। अभियोजन, अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की बहन विवाह के लिए विवशकर अथवा भ्रष्ट करने के आशय से उसको छुपाकर सदोष परिरोध में रखे जाने के आरोप को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतयाः असफल रहा है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षियों के बयान विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है एवं न ही उसके आधार पर अभियुक्त संदीप उर्फ छोटा की प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्धि की जा सकती है।

38. अभियोजन का यह दायित्व होता है कि वह अपने मामले को साबित करने के लिए ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, किन्तु इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अपर्याप्त है।

39. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त संदीप उर्फ छोटा के विरुद्ध आरोप मु0अ0सं0 112/2018, अन्तर्गत धारा 366, 368 भा.दं.सं., थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

40. अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त संदेह का लाभ पाते हुए लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या 1053/2018, मुकदमा अपराध संख्या 112/2028, उ0प्र0 राज्य बनाम संदीप उर्फ छोटा, थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में अभियुक्त **संदीप उर्फ छोटा पुत्र ओमप्रकाश** निवासी कमालपुर थाना, शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर को धारा 366, 368 भा.दं.सं., थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में जमानत पर हैं, उसके निजी बन्धपत्र व जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

बरामदशुदा माल (यदि कोई हो) समाप्ति मियाद अपील विधिनुसार निस्तारित किया जाये अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारित किया जाये।

अभियुक्त धारा— 437ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में इस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तावित किसी अपील में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के आशय से अभियुक्त 6 माह के लिए 25,000 / — रूपये (पच्चीस हजार रूपये) के निजी बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।

दिनांकः— 07.08.2026 **(ज्योत्सना सिवाच)**
अपर सत्र न्यायाधीश /
एफ.टी.सी. संख्या—01, मुजफ्फरनगर।
जे.ओ0 कोड—UP03822

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः— 07.08.2026 **(ज्योत्सना सिवाच)**
अपर सत्र न्यायाधीश /
एफ.टी.सी. संख्या—01, मुजफ्फरनगर।
जे.ओ0 कोड—UP03822